SANCHAR NIGAM EXECUTIVES' ASSOCIATION

CENTRAL HEAD QUARTERS

All Communications to the General Secretary

M. S. Adasul
General Secretary
(M) : 9423082352
E-mail : gssnea2025@gmail.com

प्रति,

आदरणीय, श्री ओम बिरला जी,
माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, भारत सरकार,
भारत की संसद, संसद भवन, नई दिल्ली ११०००१ .

संख्या: एसएनईए मुख्यालय /पत्राचार /भारत सरकार /२०२५-२०२६/ दिनांक १४ जुलाई २०२६.

विषय: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पुनरुत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार एवं बीएसएनएल के अधिकारियों को वेतन पुनरीक्षण प्रदान किए जाने हेतु सहयोग प्रदान करने के संबंध में सविनय निवेदन ।

माननीय महोदय,

संचार निगम एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन (SNEA-BSNL), बीएसएनएल के ३०००० से अधिक अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, जो देशभर में बीएसएनएल के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों एवं पदों पर कार्यरत हैं। संगठन की उपस्थिति भारत के प्रत्येक जिले में है। SNEA, बीएसएनएल की मान्यता प्राप्त बहुसंख्यक अधिकारी एसोसिएशन है तथा बीएसएनएल की सभी यूनियनों एवं एसोसिएशनों में सर्वाधिक सदस्यता वाला संगठन है।

महोदय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुनरुद्धार पैकेजों के माध्यम से बीएसएनएल को प्रदान किए गए निरंतर सहयोग तथा उसे भारत सरकार के रणनीतिक भागीदार का दर्जा दिए जाने से हम अत्यंत गौरवान्वित एवं उत्साहित हैं। भारत सरकार द्वारा बीएसएनएल एवं उसके अधिकारियों के प्रति निरंतर प्रदर्शित विश्वास एवं समर्थन के लिए हम अपने संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत सरकार के समस्त मंत्रिमंडल के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं सच्चा आभार व्यक्त करते हैं।

हमें यह उल्लेख करते हुए भी अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित बीएसएनएल अधिकारियों के विशाल सम्मेलन में तत्कालीन माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर हजारों अधिकारियों को संबोधित किया। उनके अत्यंत प्रेरणादायक उद्बोधन ने बीएसएनएल अधिकारियों की सभी शंकाओं का समाधान किया तथा उनमें नई ऊर्जा, विश्वास एवं उत्साह का संचार किया। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीएसएनएल के साथ एक मजबूत चट्टान की भांति खड़े हैं तथा बीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

निस्संदेह, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुत्थान हेतु ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इसके लिए हम सभी बीएसएनएल अधिकारी सदैव भारत सरकार के प्रति कृतज्ञ एवं ऋणी रहेंगे।

महोदय, यद्यपि बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, किन्तु बीएसएनएल के अधिकारी आज भी अपने वैध वित्तीय लाभों से वंचित हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2017 से देय तृतीय वेतन पुनरीक्षण केवल वहन क्षमता (*Affordability Clause)* का हवाला देकर अब तक प्रदान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आज भी बीएसएनएल का समस्त कार्यबल वर्ष २००७ में संशोधित वेतनमानों पर ही कार्य कर रहा है, अर्थात् पिछले लगभग १७ वर्षों से उनके वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारियों का उचित मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए वेतन पुनरीक्षण न्यूनतम आवश्यकता बन चुका है।

अतः आपसे हमारा विनम्र एवं सादर अनुरोध है कि कृपया अपने माननीय स्तर से इस विषय में हस्तक्षेप करने का कष्ट करें तथा अफोर्डिबिलिटी क्लाज (Affordability Clause) में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त कराकर बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **तृतीय वेतन पुनरीक्षण** प्रदान कराने की कृपा करें।

इस महान कृपा के लिए हम सभी बीएसएनएल अधिकारी सदैव आपके प्रति कृतज्ञ एवं आभारी रहेंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित सविनय सादर।

आपका भवदीय,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

14/01/2026

महादेव एस. अडसुल.
महासचिव, एसएनईए, मुख्यालय,
नई दिल्ली ११००१५.

विषय: बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण (3rd PRC) लागू किए जाने के समर्थन में प्रमुख तथ्य एवं आधार।

1. बीएसएनएल को भारत सरकार का रणनीतिक भागीदार घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि बीएसएनएल सरकार के राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं नीतियों को पूरा करने के लिए कार्य करेगा तथा भारत सरकार लाभ-हानि की परवाह किए बिना बीएसएनएल को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। अतः अफोरडिबिलिटी/वहन क्षमता कलम (Affordability Clause) बीएसएनएल पर लागू नहीं होना चाहिए। यदि बीएसएनएल से पूर्णतः व्यावसायिक लाभ कमाने की अपेक्षा की जाती है, तभी यह शर्त लागू हो सकती है; अन्यथा राष्ट्रहित में कार्यरत रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रम पर इसका अनुप्रयोग न्यायसंगत नहीं है।
2. लोक उद्यम विभाग (DPE) पहले ही Affordability Clause में छूट (Waiver) देने की सहमति व्यक्त कर चुका है तथा दूरसंचार विभाग (DoT) मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। भारत सरकार चाहे तो वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है अथवा बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के भी अनुमोदन दिया जा सकता है, क्योंकि बीएसएनएल पहले ही अपने संसाधनों से तृतीय वेतन पुनरीक्षण लागू करने का प्रस्ताव दे चुका है।
3. लोकसभा संसदीय उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings - COPU) ने दूरसंचार मंत्रालय को निर्देशित किया है कि बीएसएनएल के नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों में विद्यमान भेदभाव समाप्त किया जाए। यह तृतीय वेतन पुनरीक्षण लागू किए जाने के समर्थन में एक महत्वपूर्ण आधार है।
4. संसदीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि सरकार, बीएसएनएल को उन सामाजिक रूप से आवश्यक किन्तु आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी दूरसंचार सेवाओं के संचालन के कारण उसकी वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक सहायता एवं पैकेज प्रदान करेगी।
5. बीएसएनएल राष्ट्रहित में अनेक ऐसी सेवाएँ प्रदान कर रहा है जिनमें लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। अतः इस प्रकार के संगठन पर अफोरडिबिलिटी/वहन क्षमता कलम (Affordability Clause) लागू करना उचित नहीं है।
6. बीएसएनएल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत किफायती दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है तथा अनेक सेवाएँ निजी कंपनियों की तुलना में लगभग २५ प्रतिशत कम शुल्क पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
7. सरकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों पर Affordability Clause लागू न किए जाने का सिद्धांत तथा बीएसएनएल के लिए DPE द्वारा इस शर्त में छूट देने के स्पष्ट निर्देश उपलब्ध हैं।
8. बीएसएनएल की स्थापना के समय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि सरकार के निर्देशानुसार संचालित गैर-आर्थिक दूरसंचार सेवाओं हेतु बीएसएनएल को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
9. तत्कालीन माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने वर्ष २०२४ में ५५००० स्वदेशी 4G BTS स्थापित होने पर सार्वजनिक रूप से तृतीय वेतन पुनरीक्षण लागू करने की घोषणा की थी। वर्तमान में बीएसएनएल एक लाख से अधिक मोबाइल टावर स्थापित कर चुका है।
10. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वदेशी 4G नेटवर्क, जिसे भविष्य में 5G में उन्नत किया जा सकता है, के सफल विकास हेतु बीएसएनएल एवं उसके अधिकारियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई है।
11. माननीय संचार मंत्री ने संसद में स्पष्ट कहा है कि बीएसएनएल केवल लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र को सेवा प्रदान करना है।
12. बीएसएनएल लगातार दो तिमाहियों में शुद्ध लाभ अर्जित कर चुका है तथा चालू वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम बनने की दिशा में अग्रसर है।
13. बीएसएनएल की वित्तीय कठिनाइयों के लिए उसके अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं। वास्तविक कारण पूर्ववर्ती सरकारों के विलंबित अथवा त्रुटिपूर्ण नीतिगत निर्णय रहे हैं, जैसे—
    (क) बीएसएनएल को 3G एवं 4G स्पेक्ट्रम आवंटन में अत्यधिक विलंब।
    (ख) स्वदेशी 4G नेटवर्क हेतु तेजस एवं सी-डॉट द्वारा समय पर तकनीकी सहायता उपलब्ध न होना।
    (ग) निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में 4G उपकरणों की खरीद में असमान अवसर।
    (घ) पर्याप्त संसाधनों एवं मानवबल के बिना एमटीएनएल की सेवाओं का अतिरिक्त दायित्व बीएसएनएल को सौंपा जाना।

(ङ) दूरसंचार क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं अस्थिर बाजार परिस्थितियाँ।

(च) रिलायंस जियो को छोड़कर केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यरत अधिकांश निजी दूरसंचार कंपनियाँ, जिनमें वोडाफोन-आइडिया भी सम्मिलित है, वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

14. अफोरडिबिलिटी/वहन क्षमता कलम में छूट प्रदान कर बीएसएनएल में उच्च पदों पर कार्यरत कुछ अधिकारियों को तृतीय वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा चुका है, जबकि डीपीई के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद बीएसएनएल के अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया गया।

15. वर्ष २०१८ में बीएसएनएल प्रबंधन ने अधिकारियों हेतु १५ प्रतिशत फिटमेंट के साथ तृतीय वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा कर प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को भेजा था। वर्तमान प्रबंधन ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समझौता भी कर लिया है, किन्तु अधिकारियों से संबंधित प्रस्ताव आज तक विचाराधीन नहीं लिया गया है।

16. बीएसएनएल का शीर्ष प्रबंधन मुख्यतः दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित है। ये सभी अधिकारी 01 जनवरी २०१७ से तृतीय वेतन पुनरीक्षण/7वें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके लिए अफोरडिबिलिटी/वहन क्षमता कलम में छूट प्रदान की जा चुकी है। इसके विपरीत, बीएसएनएल में समाहित एवं प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए अधिकारियों को यह लाभ आज तक नहीं मिला।

17. यदि अफोरडिबिलिटी/वहन क्षमता कलम वास्तव में लागू होती, तो बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भी ७ वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। इन अधिकारियों को बीएसएनएल के पदों पर पदोन्नति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि, एलटीसी, चिकित्सा सुविधाएँ, उच्च टीए/डीए, परिवहन भत्ता सहित सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध हैं, जबकि बीएसएनएल के अपने अधिकारी इनसे वंचित हैं।

18. बीएसएनएल प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय कर रहा है, जबकि बीएसएनएल के समाहित एवं प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों की अनेक सुविधाएँ समाप्त कर दी गई हैं। इससे लगभग ५५,००० कर्मचारियों में व्यापक असंतोष एवं निराशा व्याप्त है।

19. हमें प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को मिलने वाले लाभों से कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे स्वयं सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि बीएसएनएल के अपने अधिकारियों, यहाँ तक कि बीएसएनएल में समाहित भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारियों को भी समान लाभ नहीं मिल रहे हैं।

20. यह अत्यंत पीड़ादायक है कि इस प्रत्यक्ष भेदभाव को भारत सरकार की संसदीय समिति ने भी स्वीकार किया तथा इसे समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए, किन्तु दूरसंचार विभाग द्वारा आज तक उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

21. वर्ष २०२६ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ भी प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में बीएसएनएल अधिकारियों को तृतीय वेतन पुनरीक्षण प्रदान करने में उनकी कोई रुचि नहीं दिखाई देती। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष यह गलत धारणा प्रस्तुत की जा रही है कि द्वितीय वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बीएसएनएल अधिकारियों का वेतन दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से अधिक है। परिणामस्वरूप, वर्ष २०१८ से लंबित बीएसएनएल के प्रस्ताव पर, डीपीई, संसदीय समिति एवं तत्कालीन संचार मंत्री के स्पष्ट समर्थन के बावजूद, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

22. तृतीय वेतन पुनरीक्षण लागू न होने का प्रभाव केवल बीएसएनएल के लगभग ५५००० कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव बीएसएनएल के लगभग ३.५ लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर भी पड़ रहा है। इस प्रकार लगभग चार लाख परिवार इस विलंब से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह गंभीर प्रश्न है कि जब बीएसएनएल को राष्ट्रहित में अनेक अलाभकारी सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती हैं, तब उससे लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित करने की शर्त कैसे पूरी होने की अपेक्षा की जा सकती है? ऐसी स्थिति में बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तृतीय वेतन पुनरीक्षण कब प्राप्त होगा?

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बीएसएनएल के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस न्यायोचित एवं दीर्घकालीन हित के विषय में कृपया अपना अमूल्य सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

*****